मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 8148 /22/2010 भोपाल दिनांक 23/6/2010

प्रति,

कलेक्टर
जिला – समस्त
मध्यप्रदेश

विषयः मानसून सत्र के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं से वृक्षारोपण गतिविधियों की आयोजना और कार्यान्वयन -- हरियाली महोत्सव : 2010 के संबंध में।

1. <u>पृष्ठभूमि</u> :–

1.1 ज्ञातव्य है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं नामतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना इत्यादि में वृक्षारोपण का प्रावधान है और वृक्षारोपण के लिए मानसून का समय सर्वाधिक उपयुक्त होता है।

1.2 विगत वर्षों में भी मानसून सत्र में हरियाली महोत्सव के तहत वृक्षारोपण हेतु विविध आदेश जारी किये गये हैं। इन सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए आगामी मानसून सत्र के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं से वृक्षारोपण गतिविधियों की आयोजना और कार्यान्वयन – **हरियाली महोत्सव : 2010** हेतु यह आदेश जारी किये जा रहे हैं।

2. <u>स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जिला स्तरीय रणनीति</u> :–

2.1 मानसून सत्र के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु सर्वप्रथम जिले की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ऐसी रणनीति तैयार की जाये, जिसके फलस्वरूप लगाये जाने वाले पौधों की न केवल उत्तरजीविता सुनिश्चित हो, अपितु भविष्य में इन पौधों/इनके उत्पादों का विदोहन ग्रामीण आजीविका को सहयोग प्रदान करे।

2.2 प्रस्तावित वृक्षारोपण गतिविधि की रणनीति तैयार करते समय विभिन्न योजनाओं से वित्तीय नियोजन, उपलब्ध भूमि और उपलब्ध प्रजातियों के संदर्भ में वृक्षारोपण के विकल्पों, रोपण पूर्व भूमि की तैयारी, रोपण हेतु जिले की कृषि जलवायु के अनुरूप विभिन्न प्रजातियों की पौध की समुचित उपलब्धता, लगाये जाने वाले पौधों की सुरक्षा व रख रखाव की व्यवस्था तथा संस्थागत व्यवस्था इत्यादि अवयवों को ध्यान में रखा जाये।

3. <u>वित्तीय नियोजन</u> : –

3.1 मानसून सत्र के दौरान वृक्षारोपण के लिए विभिन्न आदानों की पूर्ति तथा व्यवस्थाओं हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्न योजनाओं से निर्धारित प्रावधानों अनुसार वित्तीय नियोजन किया जा सकता है :–

3.1.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश

3.1.2 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनायें (केवल परियोजना क्षेत्र में स्वीकृत ग्रामों हेतु)

3.1.3 एस.जी.एस.वाय. के वृक्षारोपण के स्पेशल प्रोजेक्ट

3.1.4 मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना (केवल परियोजना क्षेत्र में स्वीकृत ग्रामों हेतु)

3.2 मानसून सत्र के दौरान वृक्षारोपण के लिए अन्य शासकीय विभागों की योजनाओं से भी अभिसरण किया जा सकता है।

4. <u>प्रजाति और भूमि के संदर्भ में वृक्षारोपण के विकल्प</u> :–

4.1 क्षेत्र की कृषि जलवायु, मिट्टी के सामर्थ्य व गुणों और सिंचाई के साधनों को ध्यान में रखकर वानिकी एव उद्यानिकी की उन प्रजातियों का चयन किया जाये, जिनसे जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थतिकीय एवं वातावरणीय संतुलन के साथ–साथ स्थानीय जन समुदाय हेतु जलाऊ लकड़ी, फल, लघु वनोपज इत्यादि की आपूर्ति हो सके और किया गया वृक्षारोपण आजीविका का स्त्रोत बन सके।

4.2 विभाग के पत्र क्र. 6484/22/वि–8/मॉनिट/2010 दिनांक 18/5/10 द्वारा बांस रोपण के निर्देश जारी किये गये हैं। सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपि पुनः अनुलग्नक – 1

पर संलग्न है। इन निर्देशों के अनुरूप मानसून सत्र के दौरान स्थल का चयन कर बांस का गुणवत्तापूर्ण रोपण किया जाये।

4.3 ग्राम पंचायतों में ऐसी शासकीय/सामुदायिक भूमि जहां वृक्षारोपण हेतु समुचित प्रकार/श्रेणी व गहराई की मिट्टी उपलब्ध है, सिंचाई के लिए पानी की सुनिश्चित व्यवस्था/जल स्त्रोत विकसित किया जा चुका है/उपलब्ध है और ग्रामीण समुदाय वृक्षारोपण के रख रखाव हेतु सहमत हैं, वहां **खण्ड वृक्षारोपण (Block Plantation)** के रूप में नवीन सघन वृक्षारोपण किया जा सकता है। यह भूमि शासकीय कार्यालयों/विद्यालयों/पंचायत कार्यालयों के परिसर, जल संग्रहण संरचनाओं/नहरों के किनारे की भूमि, गैर कृष्य पड़ती प्रकार की भूमि भी हो सकती है। इस प्रकार के खण्ड वृक्षारोपण के लिए सुरक्षा का इंतजाम स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कटीली झाड़ियों की बागड़ अथवा चयनित भूमि के चारों ओर सी.पी.टी. तथा निकली गई मिट्टी पर कटीले पौधों (जैसे अगेव, इत्यादि) की बागड़ अथवा स्थानीय स्तर पर पत्थर उपलब्ध होने पर सी.पी.डब्ल्यू. बनाकर किया जायेगा। 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र तथा लगाई जाने वाली प्रजाति के अनुरूप निर्धारित अंतराल पर आवश्यक संख्या अनुसार पौधरोपण करने पर कटीले तारों की फेन्सिंग की जा सकती है, परन्तु इस प्रकार की फेन्सिंग करते समय गुणवत्तापूर्ण पोल/अन्य सामग्री का क्रय शासकीय नियमों के अनुसार करके उपयोग किया जाये।

4.4 खण्ड वृक्षारोपण का विकल्प उपलब्ध नहीं होने पर उपयुक्त शासकीय/सामुदायिक भूमि पर पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण किया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार के पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए बारबेट वायर की फेन्सिंग अथवा ईंट/सीमेंट अथवा लोहे की जाली वाले ट्री–गार्ड नहीं लगाये जायें। इस प्रकार के वृक्षारोपण की सुरक्षा का इंतजाम स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कटीली झाड़ियों की बागड़ अथवा चयनित भूमि के चारों ओर सी.पी.टी. तथा निकली गई मिट्टी पर कटीले पौधों (जैसे अगेव, इत्यादि) की बागड़ अथवा स्थानीय स्तर पर पत्थर उपलब्ध होने पर सी.पी.डब्ल्यू. अथवा बांस के ट्री–गार्ड बनाकर किया जायेगा। पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण के तहत पौधों के चारों ओर संलग्न **अनुलग्नक – 2** में दर्शाये गये अनुसार ट्रेंच बनाकर भी सुरक्षा की व्यवस्था की जा सकती है।

4.5 **विगत वर्षों में किये गये ऐसे खण्ड वृक्षारोपण (Block Plantation) एवं पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण (Row Plantation), जिनकी सुरक्षा और सिंचाई के लिए सुनिश्चित व्यवस्था है, को चिन्हित किया जाकर उनके मृत पौधों के स्थान पर नवीन पौधे लगाये जाने को प्राथमिकता दी जाये।**

4.6 ऐसे पात्र हितग्राही (उदाहरणस्वरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत नंदन फलोद्यान उपयोजना के हितग्राही) जिनके लिए योजना के प्रावधानों और निर्देशों के अनुसार लगाये जाने वाले पौधों की सुरक्षा और सिंचाई के लिए पानी की सुनिश्चित व्यवस्था की जा चुकी है, उनकी निजी भूमि पर खण्ड वृक्षारोपण (Block Plantation) अथवा पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण (Row Plantation) के रूप में नवीन वृक्षारोपण किया जा सकता है। नंदन फलोद्यान उपयोजना के अंतर्गत लगाये गये पौधों की सुरक्षा की व्यवस्था विभाग के आदेश क्र. /एनआरईजीएस--एमपी/एन.आर.–17/10 दिनांक /06/2010 के अनुसार की जाये। निजी भूमि पर लगाये गये पौधों की सुरक्षा के लिए संबंधित हितग्राही स्वयं के संसाधनों से भी सुरक्षा की अन्य व्यवस्थायें कर सकता है।

4.7 विभाग द्वारा पूर्व में **नदी पुर्नजीवन** की आयोजना और कार्यान्वयन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं, जिनके अनुरूप इस कार्य हेतु नदी के कैचमेंट में जल संरक्षण व संर्वधन कार्यों के साथ वृक्षारोपण भी महत्वपूर्ण अवयव है। अतः नदी पुर्नजीवन हेतु चयनित नदी के कैचमेंट के ग्रामों में मानसून के दौरान वृक्षारोपण कार्य अत्यंत सघनता (Intensive) तरीके से किया जाना है, ताकि मिट्टी में नमी का संरक्षण और भूमि जल रिसाव में बढ़ौतरी हो सके। नदी पुर्नजीवन के कार्य हेतु शासकीय/सामुदायिक भूमि पर खण्ड वृक्षारोपण (Block Plantation) किया जाये। इसके अतिरिक्त नदी के कैचमेंट के ग्रामों में विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर खण्ड वृक्षारोपण (Block Plantation) अथवा पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण (Row Plantation) किया जाये।

5. <u>कार्यान्वयन एजेंसी का निर्धारण</u> : –

5.1 वृक्षारोपण गतिविधि की संपूर्ण आयोजना और कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी का स्पष्ट निर्धारण किया जाये और इसे पौधरोपण के साथ साथ सुरक्षा तथा रख रखाव का उत्तरदायित्व भी सौंपा जाये। कार्यान्वयन एजेंसियों को वृक्षारोपण के विभिन्न

तकनीकी पहलुओं तथा रोपण के पश्चात सुरक्षा और रख रखाव (सिंचाई, निदाई, गुड़ाई, खाद व कीटनाशक इत्यादि) की व्यवस्था (Post Plantation Arrangements) इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाये। कार्यान्वयन एजेंसी को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाये कि वृक्षारोपण के असफल होने पर व्यय राशि की वसूली उनसे की जायेगी।

5.2 कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में अपेक्षित उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों अथवा स्वसहायता समूहों को भी सौंपा जा सकता है। गैर वन पड़त भूमि के विकास व उपयोग की नीति मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्र.1873–एफ–4–7/96/सात/2ए दिनांक 4.10.2006 में निर्धारित की गई है। इस नीति की कंडिका 3.2.4 में भूमिहीन व्यक्तियों के स्वसहायता समूहों को भी गैर वन पड़त भूमि के वंटन का प्रावधान किया गया है। इस नीति के प्रावधानों के अनुरूप गैर वन पड़त भूमि का वंटन स्वसहायता समूहों को किया जाकर इन समूहों के माध्यम से वृक्षारोपण कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शासकीय भूमि तथा छोटे बड़े झाड़ के जंगल की भूमि विभाग के आदेश क्र.8604/वि–6/22/2003 दिनांक 31.7.2003 में उल्लेखित प्रावधानों व प्रक्रिया अनुसार भी स्वसहायता समूहों को आवंटित कर इनके माध्यम से भी वृक्षारोपण कराया जा सकता है।

6 <u>पौधों की आवश्यकता का आकलन तथा प्रदाय</u> : –

6.1 वृक्षारोपण हेतु कितने क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण किया जाना है, यह सर्वेक्षण करा लें तत्पश्चात कितने क्षेत्रफल में किस प्रजाति के कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, यह आकलन पौधों के बीच के निर्धारित अंतर को ध्यान में रखकर करा लिया जाये। चूंकि वृक्षारोपण के उपरांत कुछ पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं, अतः 10% से 20% अतिरिक्त पौधों का प्रबंध रखा जाना चाहिये।

6.2 प्रजातिवार पौधों की आवश्यकता के आकलन के आधार पर इनके प्रदाय हेतु नर्सरियों से समुचित नियोजन कर लिया जाये।

6.3 पौधों के क्रय में पूर्ण पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। पौधों का क्रय केवल शासकीय विभागों की शासकीय नर्सरियों में विकसित किये गये गुणवत्तापूर्ण पौधों में से किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी माध्यम अथवा प्रणाली के द्वारा गैर

शासकीय निजी नर्सरियों/शासकीय विभागों द्वारा अधिकृत निजी नर्सरियों से पौधों का क्रय नहीं करना है।

6.4 यह सुनिश्चित किया जाये कि वृक्षारोपण हेतु नर्सरियों से लिया जाने वाला पौधा स्वस्थ एवं उचित गुणवत्ता का हो। नर्सरी से पौधे क्रय करने के पूर्व एवं नर्सरी से प्राप्त होने पर उनकी गुणवत्ता का परीक्षण विशेषज्ञ द्वारा करवाया जाये। पौधों के गुणवत्तापूर्ण एवं तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर ही इनका रोपण किया जाये। **गुणवत्ताहीन पौधे क्रय करने अथवा लगाये जाने पर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी उत्तरदायी होगी।**

7. <u>वृक्षारोपण के लिए भूमि की तैयारी, रोपण, सिंचाई तथा सुरक्षा व रख रखाव का कार्य</u> : –

7.1 लगाये गये पौधों की अच्छी बढ़त एवं उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि भूमि की तैयारी, रोपण, सिंचाई, निंदाई–गुड़ाई, कटाई–छंटाई, पौध संरक्षण तथा उर्वरक एवं खाद देना जैसे कार्यो को सामुचित ढंग से तथा निर्धारित तकनीकी व वैज्ञानिक प्रकियाओं के अनुरूप निम्नानुसार किया जाये:– :

7.1.1 वृक्षारोपण के लिए भूमि की तैयारी :

सर्वप्रथम चयनित भूमि की साफ सफाई तथा प्राकृतिक रूप से उगे हुए पौधों के ठूंठों की कटाई तथा झाड़ियों इत्यादि की साफ सफाई का कार्य किया जाये। तत्पश्चात चयनित प्रजाति के अनुसार निश्चित अंतर पर निश्चित आकार के गड्ढे खोदे जायें। गड्ढों के बीच रखे जाने वाले अन्तर का निर्धारण, लगाये जाने वाले पौधों की प्रजाति, ऊँचाई (प्लान्ट हाइट) एवं छत्र की चौड़ाई (काउन विड्थ) पर निर्भर करता है। गड्ढों की माप भूमि प्रकार एवं प्रजाति अनुसार हो सकती है। इन गड्ढों की कतारें तथा दिशा स्थानीय स्थलाकृति के आधार पर निश्चित करना चाहिए। गड्ढे भरने के लिये गडढे से निकाली गई मिट्टी, सड़ी गोबर की खाद, रेत का उपयोग चाहिये। यदि क्षेत्र में अच्छी किस्म की मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो बाहरी क्षेत्र से दोमट मिट्टी लाकर गोबर की खाद व रेत मिलाकर गड्ढे में भरी जाये।

7.1.2 पौधरोपण व अन्य व्यवस्थायें :

सफल वृक्षारोपण हेतु यह आवश्यक है कि पौधरोपण का कार्य वर्षा ऋतु आरंभ होते ही अच्छी बारिश के तत्काल बाद आरंभ कर दिया जाये। पौधरोपण का कार्य सामान्यतः 31 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाये। पौधेरोपण के दौरान निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिये :–

7.1.2.1 पौधे लगाने के ठीक पहले लिपटी हुई घास या भीगे बोरों के टुकड़ों अथवा पोलीथीन को जड़ों की मिट्टी के गोले से हटा देना चाहिए। मिट्टी का गोला जड़ों को सुरक्षित रखता है।

7.1.2.2 गड्ढों के बीच से केवल उतनी ही मिट्टी निकाले, जिससे मिट्टी के गोले के साथ पौधे की जड़ें उसमें ठीक से बैठ सके। यहां इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि मिट्टी के गोले के साथ पौधों को समान गहराई पर ही लगाना चाहिये। यदि पौधे को अधिक गहराई पर लगा दिया जायेगा तो तना पानी/मिट्टी के संपर्क में आकर सड़/गल सकता है और यदि कम गहराई पर रोपण किया जायेगा तो बारिश के दौरान मिट्टी के गोले की मिट्टी हट जाने के कारण पौधे की जड़े खुल (एक्सपोज) जायेंगी। और पौधे की जीदित रहने की संभावना कम हो सकती है।

7.1.2.3 पौधे गड्ढों में सीधे लगाने चाहिए और उनकी जड़े भी स्वाभाविक दिशा में रखनी चाहिए।

7.1.2.4 बडिंग/ग्राफ्टिंग से तैयार पौधे का यूनिट यूनियन (संगम बिन्दु) हवा चलने की दिशा में रखना चाहिए, जिससे हवा के दबाव से यूनियन टूट या खुल ना सकें। मुख्यतः संधि व बडिंग (कलिका रोपण) के स्थान पर किसी बंधन आदि की गांठ नहीं रहनी चाहिए।

7.1.2.5 पौधे लगाने के बाद जड़ के आसपास चारों तरफ से मिटटी चढ़ा देना चाहिए। जमीन के तल से मिट्टी ऊपर उठी एवं ढालू रहें ताकि बारिश के पानी का जमाव न हो सके व पौधों की जड़ों के आसपास हवा न रहे।

7.1.2.6 पौधे लगाने के तुरन्त बाद हल्का पानी दिया जाना चाहिए।

7.1.2.7 शुरुआत से ही लकड़ी गाड़कर पौधों को सहारा (स्टेकिंग) देना चाहिए ताकि वे सीधे रहें।

7.1.2.8 रोपण के पश्चात रोपित किये गये पौधों की <u>सुरक्षा और रख रखाव (सिंचाई, निदाई, गुड़ाई, खाद व कीटनाशक इत्यादि)</u> की सुनिश्चित व्यवस्था (Post Plantation Arrangements) की जाये, ताकि पौधों की उत्तरजीविता का बेहतर हो।

8. <u>कार्यान्वयन के अन्य प्रक्रियात्मक पहलु</u> :–

8.1 बेहतर होगा कि भूमि की उपलब्धता के आधार पर ग्राम पंचायतों/ग्रामों का चयन कर प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत/ग्राम हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण की दीर्घकालिक आयोजना (जिसमें वृक्षारोपण, सुरक्षा, रख रखाव, सिंचाई, उर्वरक खाद आदि की व्यवस्था शामिल होगी) अनिवार्यतः तैयार कर कार्यान्वयन किया जाये। इस प्रकार की ग्रामवार कार्ययोजना को एकजाई कर जिले की आयोजना भी **अनुलग्नक – 3** पर दर्शाये गये प्रपत्र अनुसार संकलित की जाये।

8.2 प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु वित्तीय स्त्रोतों से नियोजन उपरांत संबंधित योजना के प्रावधानों के अनुसार **प्रशासकीय एवं तकनीकी अनुमोदन अनिवार्यतः प्रदान किया जाये।**

8.3 वृक्षारोपण गतिविधियों – हरियाली महोत्सव : 2010 **की शुरूआत जिले के प्रभारी मंत्री** जी की अध्यक्षता में समारोह आयोजित कर की जाये। इसके साथ ही सभी विकासखण्डों में भी हरियाली महोत्सव : 2010 की शुरूआत माननीय सांसद, माननीय विधायक और जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर की जाये। इस अवसर पर पर्यावरण रैली भी आयोजित की जा सकती है। तदोपरांत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित पौध रोपण का कार्य मानसून सत्र के दौरान **अच्छी बारिश होने पर ही** किया जाये। अल्पवर्षा अथवा सूखे की स्थिति में जब तक सिंचाई के लिए समुचित पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती, तब तक वृक्षारोपण नहीं किया जाये।

8.4 संपादित वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे कहां वृक्षारोपण किया गया (हल्का नंबर तथा खसरा नंबर), किस प्रजाति के कितने पौधे लगाये गये, किस विभाग/नर्सरी से कितने पौधे किस दर पर लिये गये, वृक्षारोपण पर कितनी राशि का

व्यय (मदवार अर्थात मजदूरी पर, सामग्री पर, फेंसिंग पर इत्यादि) हुआ इत्यादि का विधिवत् रिकार्ड व लेखा संधारण कराया जाये, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

8.5 वृक्षारोपण गतिविधि की नियमित मॉनिटरिंग की जाये। जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के रोस्टर बनाकर विभिन्न पहलुओं नामतः भूमि की तैयारी, प्रजाति चयन, नर्सरी की व्यवस्था, पौधों की गुणवत्ता, पौधों के रोपण, सिंचाई व रख रखाव की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था इत्यादि की मॉनिटरिंग कराई जाये। जहां कहीं भी कोई कमी पाई जाती है तो इसका तत्काल निराकरण कराया जाये।

9. <u>रिपोर्टिंग</u> :–

9.1 मानसून सत्र के दौरान वृक्षारोपण कार्यों की रिपोर्टिंग के लिए **अनुलग्नक – 4** में दर्शाये गये प्रपत्र में जानकारी तैयार कराकर वेबसाईट : **www.jalabhishek.org** पर प्रत्येक पखवाड़े (माह की 15 व 30 अथवा 31 तारीख को) की अंतिम तारीख तक अंकित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार मानसून सूत्र के दौरान वृक्षारोपण कार्यों की आयोजना एवं कार्यान्वयन हेतु आवश्यक समन्वय व नियोजन करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(आर.परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्र. 8149 /22/2010 भोपाल दिनांक 23/6/2010

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभाग आयुक्त, समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर पर वृक्षारोपण कार्यों की मासिक समीक्षा करने का कष्ट करें।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, नर्मदा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर.परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

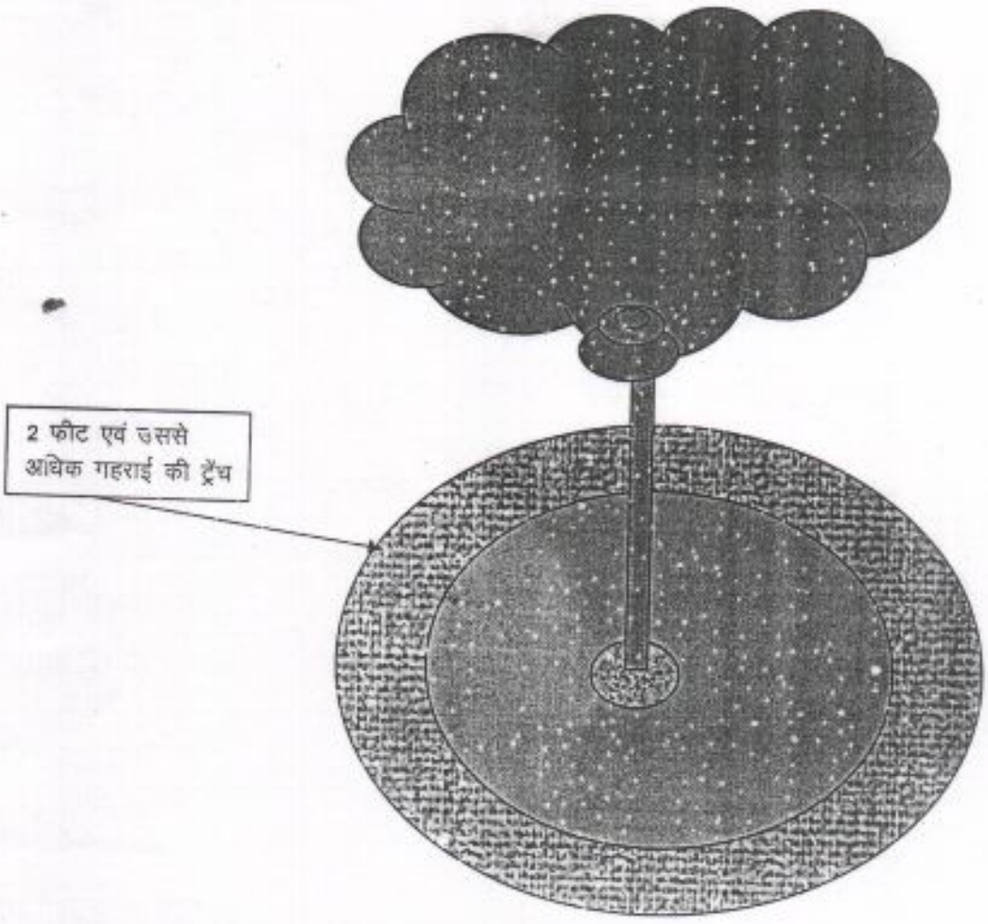
2 फीट एवं उससे
अधिक गहराई की ट्रेंच

अनुलग्नक – 3

जिला स्तर पर वृक्षारोपण कार्यों की समेकित कार्य योजना हेतु प्रपत्र

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पचांयत का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम के उन स्थलों का विवरण जहां वृक्षारोपण किया जाना है		वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजाति के नाम	रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजातिवार संख्या	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु सुरक्षा की व्यवस्था का विवरण	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु सिंचाई की व्यवस्था का विवरण	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियुक्त कार्यान्वयन एजेंसी	प्रस्तावित वृक्षारोपण का दायित्व किसे सौंपा जायेगा	व्यय राशि का वित्तीय स्त्रोत अर्थात योजना का नाम
				हल्का नं.	खसरा नं.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
योग													

अनुलग्नक – 4

वृक्षारोपण कार्यों की राज्य स्तर पर रिपोर्टिंग हेतु प्रपत्र

रिपोर्टिंग दिनांक (15 अथवा 31 / ...../2010)

क्र.	विकासखण्ड का नाम	रोपित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रोपित किये गये पौधों की प्रजाति के नाम	रोपित किये गये पौधों की संख्या	वृक्षारोपण पर व्यय राशि				
					पौधों का क्रय	*मजदूरी*	*सामग्री (जिसमें सुरक्षा व रख रखाव इत्यादि के लिए उपयोग की गई सामग्री का व्यय शामिल है)*	*अन्य व्यय*	*कुल व्यय*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
योग									